

संख्या शिक्षा - शिमला-430 (2-4) ए(1) 1/11- मान्यता प्राप्त - 62454-56
कार्यालय तृप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला- शिमला -171004

दिनांक शिमला 17/05/2018

प्राथमिक / प्रधानाचार्य
D.A.V. Public School Chopal,
खण्ड चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 1

विषय - नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रवर्तन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण- पत्र ।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्र संख्या - शून्य दिनांक 10/04/2018 में आवेदन और विद्यालय के साथ पर्यवेक्षणी पत्राचार के प्रतिनिदिष्ट न में D.A.V. Public School Chopal, खण्ड चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को 01/03/2017 से 28/03/2022 तक प्रति वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए अनधिकृत मान्यता प्रदान करने की संसूचना देना है तथा हर वर्ष हेतु फॉर्म 019 के अनुसार कार्यावाही करें ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अन्वयेण है -

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा व से आगे विद्यालय की मान्यता का सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपधारा-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (उपधारा-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. सोसाइटी/ विद्यालय, किसी डीपेंडेंशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/करेगा और किसी कालख या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अव्ययीन नहीं करेगी/करेगा।
4. विद्यालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा -
 - (i) आयु का समूह न होना ।
 - (ii) यदि ऐसा प्रवेश प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पर्यायत प्राप्त गया हो और (iii) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
5. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि -
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक व्यथित किया जायेगा।
 - (iii) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकतम किए गए अनुसार एक पमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) नि:शुल्कता प्राप्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अहताओं से साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रावधान पर न्यूनतम अहताएँ नहीं हैं, उन्हें 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहताएँ अधिस्त करेंगे।
 - (vii) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कालख का पालन करेगा / करेगी और
6. विद्यालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्रविक्तरी द्वारा अधिकतम पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं क अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्नितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
 विधालय परिसर का क्षेत्रफल, :-
 कुल निर्मित क्षेत्र, :-
 कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल, :-
 कक्षा के कमरों की संख्या, :- 15

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड-डे-मिल पकाने हेतू रसोई अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल-कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पंहुच .

9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विधालय भवनों या अन्य अवसंरचनाओं या कीड़ा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाए, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर - शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विधालय को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विधालय को आंबटित मान्यता कोड संख्याक 000460 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन 0) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-धोषणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे 1 मान्यता के नवीनीकरण हेतू पांच सौ रुपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा।

[Handwritten Signature]
15/5/18

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला।

.....2018

पृष्ठांकन

संख्या

दिनांक

शिमला-171004

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी चौपाल को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षक नरित 1

[Handwritten Signature]
उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला।

{मुप्ला}